(GI-8, FMT)

DATE: 10.04.2023 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

ANSWERS (1-20) CARRY 1 MARK EACH

1. Ans. a
2. Ans. c
3. Ans. c
4. Ans. d
5. Ans. b
6. Ans. d
7. Ans. c
8. Ans. c
9. Ans. d
10. Ans. d
11. Ans. d
12. Ans. b
13. Ans. a
14. And. d
15. Ans. b
16. Ans. d
17. Ans. c
18. Ans. b
19. Ans. d
20. Ans. a

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

ANSWERS (21-25) CARRY 2 MARKS EACH

21. Ans. b
22. Ans. c
23. Ans. c
24. Ans. a
25. Ans. a

DIVISION B-DESCRIPTIVE QUESTIONS

QUESTION NO. 1 IS COMPULSORY
ATTEMPT ANY FOUR QUESTIONS FROM THE REST

Answer 1:

Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)

(i) **गलत :**
अप्रचलन, समय के अप्रचलन, उपयोग और प्रवाह के कारण संपत्ति के मूल्य में गिरावट है, इसलिए, मूल्यह्रास तब लगाया जाता है जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार होती है। मूल्यह्रास के प्रभार के लिए परिसंपत्ति का सक्रिय उपयोग अनिवार्य मानदंड नहीं है।

(ii) **गलत :**
SA 210 के अनुसार, अंकेक्षक को प्रबंध के उत्तरदायित्वों से संलिप्तता पत्र या लिखित अनुबंध के किसी अन्य उचित प्रारूप से सहमत होना चाहिये।

(iii) **गलत :**
राजकीय अंकेक्षण सरकार के सार्वजनिक लेखांकन की प्रक्रिया के रूप में उद्देश्य पूरा करता है। यह कार्यात्मक, प्रबंधात्मक कार्यक्रम कार्यक्रम तथा लोक प्रशासन के योजना पहलुओं के लोक लेखांकन के साथ–साथ उनको प्रशासित करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करता है।

(iv) **गलतः**
व्यवसाय प्रकृति, आकार और संरचना में भिन्न होते हैं, जो काम एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त है वह दूसरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, आंतरिक नियंत्रणों की क्षमता और संचालन और लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की सटीक प्रकृति अन्य कारक हैं जो असाइनमेंट से असाइनमेंट में भिन्न होती हैं। इस तरह की विविधताओं के कारण, सभी परिस्थितियों में सभी व्यवसाय के लिए लागू एक ऑडिट कार्यक्रम विकसित करना व्यावहारिक नहीं है।

(v) **गलतः**
एसए 210 ''ऑडिट एंगेजमेंट्स की शर्तों से सहमत'' के अनुसार, ऑडिट अनुबंध पत्र ऑडिटर द्वारा अपने क्लाइंट को भेजा जाता है।

(vi) **गलतः**
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत, ऑडिटर को यह रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं एवं इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता। लेखा परीक्षक को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर ही रिपोर्ट करनी है, न कि आंतरिक नियंत्रणों पर।

(vii) **गलत :**
एक खाते को 'क्रम से बाहर' के रूप में माना जाना चाहिये, यदि बकाया शेष मंजूर सीमा/ड्राइंग पॉवर से अधिक लगातार रहता है। ऐसे मामलों में जहाँ मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/ड्रांइग पॉवर से कम है, लेकिन तुलन पत्र या क्रेडिट की तारीख से 90 दिनों के लिये लगातार कोई क्रेडिट नहीं है, इसी अवधि में विकलित ब्याज को कवर करने के लिये पर्याप्त नहीं है, इन खातों को 'क्रम से बाहर' के रूप में माना जाना चाहिये।

(viii) **गलत :**
जहाँ परीक्षण की जाने वाली जनसंख्या में बड़ी मात्रा में समान इकाईयाँ हों, वहाँ सांख्यिकीय नमूनों का अधिक उपयोग होता है, विशेषकर अनुपालन परीक्षण, व्यापारिक प्राप्तियों की पुष्टि, पेरोल चैकिंग, बिलों का सत्यापन, लघु नकद वाउचर्स।

{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}

Answer 2:

(a) लेखा परीक्षा की योजना में कार्य के लिए समग्र अंकेक्षण की रणनीति बनाने और अंकेक्षण योजना का विकास करना शामिल है। पर्याप्त योजनाओं में वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण को कई तरह से लाभान्वित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है– **{1 M}**

1. अंकेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उचित ध्यान देने के लिए अंकेक्षक की सहायता करना।
2. लेखा परीक्षक की सहायता से समय–समय पर संभावित समस्याओं को हल किया जा सकता है।

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

3. लेखा परीक्षक की मदद से अंकेक्षण कार्य को व्यवस्थित और प्रबंधित किया जा सके, ताकि वह कुशल तथा प्रभावी तरीके से किया जाये।
4. प्रत्याशित जोखिमों का उत्तर देने के लिए योग्यता स्तरों और क्षमता के साथ कार्यदल के सदस्यों के चयन में सहायता और उनके लिए उचित काम को सौंपना।
5. कार्य दल के सदस्यों की दिशा और पर्यवेक्षण की सुविधा और उनके काम की समीक्षा करना।
6. अवयवों के लेखा परीक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्यो के समन्वय में जहां उपयुक्त हो, सहायता करना।

{1/2 M Each point}

Answer:

(b) नियंत्रण पर्यावरण – आंतरिक नियंत्रण के घटक – अंकेक्षक, नियंत्रण पर्यावरण की समझ प्राप्त करेगा। इस समझ को प्राप्त करने के एक भाग के रूप में अंकेक्षक इसका मूल्यांकन करेगा कि क्या –

(i) प्रबंधन ने ईमानदारी और नैतिक व्यवहार की संस्कृति का सृजन किया है तथा बनाये रखा है, तथा
(ii) नियंत्रण वातावरण तत्वों की शक्ति, आंतरिक नियंत्रण के अन्य घटकों के लिये एक उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

{1/2 M}

नियंत्रण पर्यावरण में क्या शामिल है?

नियंत्रण पर्यावरण में शामिल है–

(i) प्रशासन तथा प्रबंधन कार्य, तथा
(ii) प्रशासन और प्रबंध के रवैये वाले लोगों के व्यवहार, जागरूकता और कार्य,
(iii) नियंत्रण पर्यावरण संस्था के एक स्वर को तय करता है, जो उसके लोगों की नियंत्रण चेतना को प्रभावित करता है।

{1/2 M}

नियंत्रण पर्यावरण के तत्व – नियंत्रण पर्यावरण के तत्व जो कि नियंत्रण पर्यावरण की समझ प्राप्त करते समय प्रासंगिक हो सकते है, निम्न है–

(a) संचार और अंखडता और नैतिक मूल्यों के प्रवर्तन – ये आवश्यक तत्व है, जो नियंत्रण, रूपरेखा और नियंत्रण की निगरानी के प्रभाव को प्रभावित करते हैं।
(b) सक्षमता के प्रति प्रतिबद्धता – जैसे विशेष प्रबंधन के लिये क्षमता के स्तर पर प्रबंधन के विचार और उन स्तरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान में अनुवाद करना।
(c) प्रशासन की जिम्मेदारी वाले लोगों की भागीदारी – उनसे जुड़े लागों के गुण, जैसे कि–
   - ❖ प्रबंधन से उनकी स्वतंत्रता,
   - ❖ उनका अनुभव और कद,
   - ❖ उनकी भागीदारी और उनकी जानकारी की सीमा और गतिविधियों की जाँच,
   - ❖ उनके कार्यो की उचितता, जिसमें कठिन प्रश्न उठाये जाते हैं और प्रबंधन के साथ आगे बढ़ते हैं, और आंतरिक और बाहरी अंकेक्षणों के साथ उनकी बातचीत।

{2 M}

(d) प्रबंधन का दर्शन और संचालन शैली–प्रबंधन की विशेषताऐं जैसे–
   - ❖ व्यावसायिक जोखिम लेने और प्रबंधन करने के लिये दृष्टिकोण,
   - ❖ वित्तीय विवरणों की ओर रूख और कार्य,
   - ❖ सूचना प्रसंस्करण और लेखा कार्य और कर्मियों के प्रति रूख।
(e) संगठनात्मक ढांचे – जिस ढांचे के भीतर एक संस्था की गतिविधियों को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये योजनाबद्ध, निष्पादिन, नियंत्रित और समीक्षा की गयी है।
(f) प्राधिकरण और जिम्मेदारी का कार्य – जैसे संचालित गतिविधियों के लिये प्राधिकरण और जिम्मेदारी किस प्रकार की जाती है, और रिश्तों और प्राधिकरण पदानुक्रम की सूचना कैसे की जाती है।
(g) मानव संसाधन नीतियाँ और प्रथाएँ – उदाहरण के लिये भर्ती, अभिविन्यास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, परामर्श, पदोन्नति, क्षतिपूर्ति और उपचारात्मक कार्यो से संगठित नीतियाँ और प्रथाएँ।

{1 M}

Answer:

(c) संयुक्त लेखा परीक्षा – संयुक्त लेखा परीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउटेंट्स को नियुक्त करने की प्रथा बड़ी कंपनियों और निगमों में काफी व्यापक है। संयुक्त लेखा परीक्षा मूल रूप से एक निश्चित समयावधि में

{1 M}

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

एक विशेषज्ञता कार्य करने के लिए एक अधिक फर्मो के लेखा परीक्षकों के संसाधनों एवं विशेषता को एक साथ एकत्र करने से अभिप्रेरित है, जो अकेले कार्य करने में कठिन हो सकता है। इस अनिवार्यता में कुल कार्य को साझा करना शामिल है। यह अपने आप में एक बड़ा लाभ है।

विशिष्ट कार्यो में इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं :–

(i) विशेषता को साझा करना।
(ii) आपसी परामर्श का लाभ।
(iii) कम कार्यभार।
(iv) प्रदर्शन की बेहतर गुणवत्ता।
(v) ग्राहक को बेहतर सेवा।
(vi) अधिकार संभालने की घटना में अधिकार में ली गई कंपनी के लेखा परीक्षक के विस्थापन से प्रायः मुक्ति मिल जाती है।
(vii) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में, इस कार्य को उन स्थानीय फर्मो की विशेषज्ञता का उपयोग कर प्रसारित किया जा सकता है जो विस्तृत कार्य तथा स्थानीय कानूनों एवं विनियमों से निपटने हेतु बेहतर स्थिति में होती है।
(viii) निम्न श्रेणी कर्मचारी विकास लागतें।
(ix) कार्य करने के लिए कम खर्च।
(x) बेहतर प्रदर्शन के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना।

{1/2 M Each Point}

Answer 3:

(a) कम्पनी की IT प्रणाली व स्वचालित वातावरण की समझ प्राप्त करने के बाद अंकेक्षक को IT प्रणाली से उपार्जित जोखिम की समझ प्राप्त करना होती है।

निम्न कुछ जोखिमों पर ध्यान दिया जाता है –

- ❖ डाटा की गलत प्रोसेसिंग, गलत डाटा की प्रोसेसिंग या दोनों
- ❖ डाटा का अनाधिकृत उपयोग
- ❖ डाटा में सीधा बदलाव (बैंक एंड बदलाव)
- ❖ अत्यधिक अभिगम / विशेषाधिकार अभिगम (सुपर उपयोगकर्ता)
- ❖ कर्तव्यों के उचित बंटवारे का अभाव
- ❖ प्रणाली व प्रोग्राम में अनाधिकृत बदलाव
- ❖ प्रणाली व प्रोग्राम में उचित बदलाव लाने में विफलता
- ❖ डाटा का नुकसान

{1/2 M Each Point}

Answer:

(b) आर्थिक विचारशीलता के बिना मानव समाज में कोई प्रयास सार्थक नहीं है तथा अंकेक्षण इससे अछूता नहीं है। एक नयी सोच है कि अंकेक्षण की परम्परागत प्रक्रिया आर्थिक रूप से अपव्ययी है क्योंकि सभी प्रयास बिना विचलन के सभी लेनदेन को चैक करने में किये जाते हैं। इस कारण से नियमित चैकिंग पर अधिक जोर दिया जाता है, जो कि समय और लागत के हिसाब से उचित नहीं है। संस्था के रोजना प्रबंध में औपचारिक आंतरिक नियंत्रण की ओर अग्रसर होने से नियमित त्रुटियों व कपट की संभावनाओं में काफी कभी आयी है व अंकेक्षण विस्तृत नियमित चेकिंग को उचित नहीं मानते क्योकि इससे कभी कभार ही कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त होता है।

{2 M}

अब अंकेक्षणीय दृष्टिकोण व चैकिंग की परिसीमाओं में प्रगतिशील बदलाव आ रहा है, जहाँ गैर परिणामी नियमित चैकिंग की जगह सिद्धांतों व नियंत्रणों के प्रश्नों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नियमित चैकिंग से हम परम्परागत विस्तृत चैकिंग व सभी प्रविष्टियों का विचार करते हैं।

{2 M}

Answer:

(c) चूंकि अदृश्य सम्पत्ति एक पहचान योग्य गैर वित्तीय सम्पत्ति है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ऐसी सम्पत्तियों के अस्तित्व को स्थापित करने हेतु, अंकेक्षक को यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या ऐसी अदृश्य सम्पत्ति उत्पादन में, माल और सेवाओं की आपूर्ति में, दूसरों को किराये पर देने में या प्रशासनिक उद्देश्यों में सक्रिय रूप से उपयोग में है।

{$1^{1/2}$ M}

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

उदाहरण– सॉफ्टवेयर की उपस्थिति के सत्यापन हेतु अंकेक्षण को यह सत्यापित करना चाहिए कि, क्या सॉफ्टवेयर संस्था द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग में है तथा इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षक को संबंधित सेवाओं / माल की बिक्री को अंकेक्षण अवधि के भीतर सत्यापित करना चाहिए, जिनमें इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ है। **{$1^{1/2}$ M}**

उदाहरण– डिजाइन / रेखाचित्र की उपस्थिति के सत्यापन हेतु अंकेक्षक ने उत्पादन डाटा को यह स्थापित करने हेतु सत्यापित करना चाहिए कि क्या वह उत्पादन, जिसके लिए ढाँचा / रेखाचित्र क्रय किए, का संस्था ने उत्पादन या बिक्री की। **{$1^{1/2}$ M}**

यदि कोई अदृश्य सम्पत्ति उपयोग में नहीं है, तो उसका विलोपन खातों में दर्ज होना चाहिए। संस्था के प्रबंधन की अनुमति के बाद और विलोपन की तिथि के बाद परिशोधन शुल्क चार्ज नहीं होना चाहिए। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 4:

(a) अंकेक्षण साक्ष्य, निष्कर्षो जिन पर अंकेक्षण राय आधारित है, पर पहुँचने में अंकेक्षक द्वारा प्रयुक्त सभी जानकारी है। लिखित अभ्यावेदन आवश्यक जानकारी है, जो अंकेक्षक को संस्था के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में आवश्यक है। तद्नुसार, पूछताछ के उत्तर के समान लिखित अभ्यावेदन अंकेक्षण सबूत है। **{1/2 M}**

वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिये जिम्मेदार लोगों से लिखित अभ्यावेदन का अनुरोध किया जाता है।

यद्यपि, लिखित अभ्यावेदन आवश्यक अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान करते हैं, वे किसी भी मामलों, जिनमें वे व्य वहार करते हैं, पर अपने आप से पर्याप्त उचित साक्ष्य प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा तथ्य कि प्रबंधन ने विश्वसनीय लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं, उन अन्य अंकेक्षण प्रमाणों की प्रकृति को प्रभावित नहीं करते हैं, जो अंकेक्षक प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने या विशिष्ट दावों के बारे में प्राप्त करता है। **{1/2 M}**

लिखित अभ्यावेदन के संबंध में अंकेक्षक के उद्देश्य :–

अंकेक्षक के उद्देश्य है –

(a) **लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करना**
प्रबंधन का भी माना है कि उसने वित्तीय विवरणों की तैयारी और अंकेक्षक को उपलब्ध करायी गयी जानकारी की पूर्णता के लिये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। **{1 M}**

(b) **अन्य साक्ष्य के समर्थन हेतु**
लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से वित्तीय विवरणों के लिये प्रासंगिक अन्य अंकेक्षण साक्ष्य या वित्तीय विवरणों में विशिष्ट दावों का समर्थन करना, तथा **{1 M}**

(c) **उचित रूप से प्रतिक्रिया करने हेतु**
प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये लिखित अभ्यावेदनों के लिये अथवा प्रबंधन, अंकेक्षक द्वारा निवेदित लिखित अभ्यावेदन उचित रूप से प्रतिक्रिया करने हेतु उपलब्ध नहीं कराता है। **{1 M}**

Answer:

(b) संस्था की लेखांकन प्रथाओं के गुणात्मक पहलुओं पर विचार करने के लिये अंकेक्षक, प्रबंधन के फैसले में संभावित आधार पर जागरूक हो सकता है। अंकेक्षक निष्कर्ष निकाल सकता है, कि तटस्थता की कमी के साथ–साथ विवरणों की गलत परिभाषाओं के कारण वित्तीय विवरण महतत्वपूर्ण रूप से गलत हो सकते हैं। तटस्थता की कमी के संकेतों में निम्न सम्मिलित है– **{2 M}**

(i) अंकेक्षण के दौरान प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करने वाले मिथ्या कथनों का चयनात्मक सुधार। **{2 M}**

उदाहरण –

- रिपोर्ट की गयी आय में बढ़ोतरी के लिये प्रभाव को ठीक करना, परंतु आय कम करने वाले मिथ्या कथनों के प्रभाव को ठीक न करना।
- कई कमियों का संयोजन, जो एक खाते या प्रकटीकरण को प्रभावित करता है (अथवा समान आंतरिक नियंत्रण घटक) एक महत्वपूर्ण कमी के कारण हो सकता है (या महत्वपूर्ण कमजोरी, यदि सीमा क्षेत्र में संचारित किया जाना आवश्यक हो)। इस मूल्यांकन में अंकेक्षण अधिकारियों के निर्णय तथा भागीदारी की आवश्यकता है। **{2 M}**

(ii) लेखांकन अनुमान लगाने के लिये संभावित प्रबंधन पूर्वाग्रह।

Answer:

(c) C&AG के कर्तव्य – महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक के (कर्तव्य अधिकार तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 C&AG में कर्तव्यों को निम्न रूप से बताता है–

(i) केन्द्र तथा राज्य के खातों का संकलन तथा प्रस्तुति – C&AG ऐसे खातों को रखने के लिए उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा उसके नियंत्रण के अधीन अंकेक्षण तथा लेखा कार्यालयों को प्रेषित प्रारंभिक और सहायक खातों से केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य सरकार के खातों का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है। **{1 M}**

(ii) अंकेक्षण से संबंधित सामान्य प्रावधान – C&AG का यह कर्तव्य होगा।

(a) भारत की सचित निधि एवं प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, जिसमें कि विधानसभा होती है के सभी व्ययों का अंकेक्षण एवं तत्संबंधित रिपोर्ट देना है और यह सुनिश्चित करना कि लेखों में दर्शायी गयी मौद्रिक राशि विधानतः उपलब्ध थी और यह सुनिश्चित करना कि जिन अधिकरणों द्वारा वे शामिल होते हैं, वे इसकी सुनिश्चितता की पुष्टि करते हैं।

(b) संघ एवं राज्यों से संबंधित आकस्मिक निधि एवं सार्वजनिक खातों के संबंध में सभी लेन–देन का अंकेक्षण एवं तत्संबंधित रिपोर्ट। **{1 M}**

(c) संघ अथवा किसी राज्य के सभी व्यापारिक, निर्माणी लाभ–हानि खाता तथा स्थिति विवरण एवं अन्य सहायक खाते जिन्हें रखा जाता है, का अंकेक्षण एवं तत्सम्बन्धी रिपोर्ट।

(iii) प्राप्तियों और व्ययों का अंकेक्षण – जहॉ कोई संस्था या अधिकरण, जिसे भारत में सचित कोष या किसी राज्य या शासित प्रदेश, जिसमें कि विधानसभा होती है, से अनुदान या ऋण मिलता है, तो महालेखा परीक्षक और नियंत्रक को संबंधित प्रावधानों जो कि उस संस्था या अधिकरण पर उस समय लागू होते हैं जैसी भी स्थिति हो की साक्ष्य जांच करना चाहिए, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक उस संस्था की प्राप्तियों एवं सेवाओं का अंकेक्षण करेगा एवं तत्संबंधी रिपोर्ट देगा।

(iv) अनुदानों या ऋणों का अंकेक्षण – जहाँ भारत के संचित कोष या किसी राज्य या किसी संघ शासित प्रदेश, जिसमें विधानसभा होती है, से किसी संस्था या अधिकरण, जो विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं हो, को कोई अनुदान या ऋण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, तो महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक ने उस प्रविधि की सूक्ष्म जांच करना चाहिए, जिससे अनुदान या ऋण स्वीकृत करने बाकी संस्था के द्वारा निर्धारित दशाओं के पालन की जानकारी हो सके तथा इस उद्देश्य के लिए उस अधिकृत अथवा निकाय को उचित पूर्व नोटिस देकर उन पुस्तकों तथा खातों तक पहुंच का अधिकार लेना चाहिए। **{1 M}**

(v) संघ या राज्यों की प्रप्तियों का अंकेक्षण – महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संचित निधि या प्रत्येक राजकीय और विधान सभाओं वाले केन्द्र शासित प्रदेशों की संचित निधि में दी जाने वाली प्राप्तियों का अंकेक्षण करें और इस तथ्य के प्रति संतुष्ट हो जायें कि इन नियमों और प्रविधियों को, जिन्हें अनुमान संग्रहण और आयों के उचित आवंटन के लिए बनाया गया है, को ध्यान में रखा गया है और इस उद्देश्य के लिए खातों के ऐसे परीक्षण को जिसे वह उचित समझे, उसकी जांच करना चाहिए, और उस पर अपनी रिपोर्ट भी देना चाहिए।

(vi) स्टोर्स और स्टॉक खातों का अंकेक्षण – महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक को यह अधिकार होगा कि वह संघ या राज्यों के विभागों में या किसी कार्यालय में रखे स्टोर्स और स्टॉक के खातों का अंकेक्षण करें और उस पर अपनी रिपोर्ट दें।

(vii) सरकारी कंपनियों और निगमों का अंकेक्षण – सरकारी कंपनियों के खातो के अंकेक्षण के संबंध में महालेखा परीक्षक और नियंत्रक के कर्तव्य और शक्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रदर्शित तथा उपयोग किए जायेगें। भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रक के द्वारा धारा–139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत एक अंकेक्षक की नियुक्ति (यानि प्रथम लेखा परीक्षक या बाद के लेखा परीक्षक की नियुक्ति) की जावेगी तथा उस अंकेक्षक को इस प्रकार निर्देशित किया जायेगा, जिसमें सरकारी कंपनी के खातों का अंकेक्षण हो तथा इसके बाद अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रण को जमा कराना होगा जिसमें अन्य बातों के साथ ही यदि भारत के महालेखा परीक्षक व नियंत्रक द्वारा यदि कोई निर्देश दिए गए हो तो उन्हें तथा उन पर की गई कार्यवाही तथा कंपनी के खातों तथा वित्तीय विवरणों पर उनके प्रभाव को भी बताना होगा। **{1 M}**

Answer 5:

(a) अग्रिम का अंकेक्षण – अग्रिम आमतौर पर बैंक की परिसम्पत्तियों का प्रमुख हिस्सा होता है। बड़ी संख्या में ऋणी है, जिनके लिए विभिन्न प्रकार के अग्रिम प्रदान किये जाते हैं। अग्रिमों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक को प्रमुख ध्यान देने की आवश्यकता है। **{$2^{-1/2}$ M}**

अग्रिमों का अंकेक्षण करने में, अंकेक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित के बारे में सबूत प्राप्त करने के लिए संबंद्ध है–

(a) तुलन पत्र में अग्रिम के संबंध में शामिल राशि शेष तुलन पत्र की तारीख को बकाया है।
(b) अग्रिम बैंक को देय की राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(c) बैंक को देय राशि, अग्रिमों की प्रकृति पर लागू होने वाले ऋण दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों द्वारा उचित रूप से समर्थित है।
(d) कोई अलिखित अग्रिम नहीं है।
(e) अग्रिमों के मूल्यांकन के घोषित आधार उचित और ठीक से लागू होते हैं और अग्रिम की वसूली उनके मूल्यांकन में मान्यता प्राप्त है।
(f) अग्रिमों का मान्यता प्राप्त लेखा नीतियों और प्रथाओं और प्रासंगिक वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण, वर्गीकरण तथा वर्णन किया गया है।
(g) भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्ड लेखा मानक और आमतौर पर स्वीकार्य लेखा प्रक्रियाओं के अनुसार अग्रिमों के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

{1/2 M Each Point}

Answer:

(b) कई संबंधित पार्टी लेनदेन व्यवसाय के सामान्य प्रकार में है। ऐसी परिस्थितियों में असंबंधित पक्षों के साथ समान व्यवहारों की तुलना में इनमें वित्तीय विवरणों में महतत्वपूर्ण मिथ्याकथन की उच्चतर जोखिम हो सकती है। यद्यपि, अंतः संबंधित पक्ष संबंधों तथा व्यवहारों की प्रकृति, कुछ परिस्थितियों में, असंबंधित पक्षों के साथ यह व्यवहारों की तुलना में वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की उच्चतर जोखिम को जन्म देती है। **{1 M}**

उदाहरण –

- संबंधित पार्टियों संबंधित पार्टी लेनदेन की जटिलता में इसी वृद्धि के साथ संबंधों और संरचनाओं की एक व्यापक और जटिल श्रेणी के माध्यम से काम कर सकती है।
- सूचना प्रणाली लेनदेन को पहचानने या उसका सारांश देने या किसी संस्था और उसके संबंधित दलों के बीच बकाया शेष से प्रभावित हो सकती है।
- संबंधित पक्षकार बाजार लेन–देन, सामान्य बाजार नियमों और शर्तो के तहत् आयोजित नहीं किया जा सकता है, उदाहरण के लिये कुछ संबंधित पक्षकार लेनदेन प्रतिफल के बिना किसी विनिमय के किये जा सकते हैं।

{1 M Each Point}

Answer:

(c) निम्न बिन्दुओं पर अंकेक्षक को कंपनी के स्वचालित वातावरण की समझ प्राप्त करने में विचार करना चाहिए–

- प्रयुक्त सूचना प्रणाली (एक या अधिक अनुप्रयोग प्रणाली व उनका अर्थ)
- उनका उद्देश्य (वित्तीय व गैर वित्तीय)
- IT प्रणाली का स्थान– स्थानीय V/s वैश्विक
- आर्किटेक्चर (डेस्कटॉप आधारित, ग्राहक सर्वर, वेब अनुप्रयोग, क्लाउड आधारित)
- संस्करण (एक ही अनुप्रयोग के विभिन्न संस्करणों में कार्य व जोखिम भिन्न हो सकते हैं)
- प्रणाली के अंतर्गत अंतराफलक (यदि विभिन्न प्रणाली है, तो)
- घरेलू V/s संकुलित
- आउटसोर्स की गयी प्रक्रियाएं (IT रखरखाव व सहायता)
- प्रमुख व्यक्ति (CIO, CISO प्रशासक)

{1/2 M Any Eight Point}

Answer 6:

(a) स्वचालित वातावरण में परीक्षण करते समय, कुछ अन्य सामान्य विधियाँ निम्न है– **{1 M}**

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

- स्वचालित व्यवहार के आरंभ से अंत तक पूछताछ अवलोकन तथा निरीक्षण के संयोजन का उपयोग करते हुये पूर्वाभ्यास के द्वारा एक समझ प्राप्त करना।
- देखे कि एक उपयोगकर्ता विभिन्न परिस्थितियों में एक व्यवहार को कैसे प्रक्रिया करता है।
- अनुप्रयोग में दिये गये विन्यास का निरीक्षण करें।

{1 M Each Point}

Answer:

(b) केन्द्र सरकार को रिपोर्टिंग – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार, यदि एक कंपनी का अंकेक्षक, अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान कारण सहित यह विश्वास करते हैं, कि कपट का अपराध जिसमें ऐसी राशि या राशियाँ शामिल है, जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है, कंपनी में उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया गया है, तो अंकेक्षक को यह विषय ऐसे समय तथा तरीके जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो, से केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करना चाहिये। **{$1^{1/2}$ M}**

इस संदर्भ में कंपनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 का उपनियम 13 निर्दिष्ट किया गया है। उक्त नियम का उपनियम (1) बताता है, कि यदि एक कंपनी के अंकेक्षक को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान यह विश्वास करने हेतु कारण है, कि कपट का अपराध, जिसमें सकल रूप से रुपये 1 करोड़ या अधिक की राशि शामिल है अथवा शामिल होना अपेक्षित है, कंपनी के विरूद्ध उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या किया जा चुका है, जो अंकेक्षक ने यह मामला केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करना चाहिये। **{$1^{1/2}$ M}**

केन्द्र सरकार को रिपोर्टिंग करने का तरीका निम्न प्रकार से है –

(a) अंकेक्षक को यह मामला मंडल या अंकेक्षण समिति, जैसा भी मामला हो, को तुरत, परंतु कपट या उसके ज्ञान में आने के 2 दिनों के बाद नहीं, 45 दिनों के भीतर उनका उत्तर या अवलोकनों को प्राप्त करने हेतु को रिपोर्ट करना चाहिये,

(b) ऐसे उत्तर या अवलोकनों की प्राप्ति पर, अंकेक्षक को उसकी रिपोर्ट तथा मंडल अथवा अंकेक्षण समिति के उत्तर या अवलोकनों को उसकी टिप्पणियों (मंडल अथवा अंकेक्षण समिति के ऐसे उत्तर या अवलोकनों पर) के साथ ऐसे उत्तर या अवलोकनों को प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर केन्द्र सरकार को अग्रेषित करना चाहिये,

(c) दी गयी 45 दिनों की अवधि के अंदर, मंडल या अंकेक्षण समिति से कोई उत्तरी या अवलोकन प्राप्त करने में अंकेक्षक असफल रहता है, तो उसे उसकी रिपोर्ट के साथ एक नोट जिसमें उसके द्वारा मंडल या अंकेक्षण समिति को पहले अग्रेषित की गयी रिपोर्ट, जिसके लिये उसे कोई उत्तर या अवलोकन प्राप्त नहीं हुये हैं, केन्द्र सरकार को भेजना चाहिये, **{1/2 M Each Point}**

(d) रिपोर्ट, कम्पनी मामलात मंत्रालय के सचिव को एक सील बंद लिफाफे में पावती देय के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से उक्त की ई–मेल द्वारा पुष्टि करते हुये भेजा जाना चाहिये,

(e) यह रिपोर्ट अंकेक्षक का डाक पता, ई–मेल पता तथा संपर्क टेलीफोन नम्बर या मोबाईल नंबर दर्शाते हुये लेटरहेड पर होगी तथा अंकेक्षक द्वारा उसकी सील तथा सदस्यता नम्बर दर्शाते हुए हस्ताक्षरित होगी, तथा

(f) रिपोर्ट फार्म ADT-4 के निर्दिष्ट विवरण के प्रारूप में होगी।

Answer:

(c) अंकेक्षक अग्रिमों से संबंधित पर्याप्त तथा उचित अंकेक्षण साक्ष्य अग्रिमों से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के अध्ययन तथा मूल्यांकन से प्राप्त कर सकते हैं तथा द्वारा भी–

- ❖ रिकार्डेड राशियों की वैधता का परीक्षण,
- ❖ ऋण दस्तावेजों का परीक्षण,
- ❖ खातों के व्यवहारों का पुनरीक्षण,
- ❖ सुरक्षा की विद्यमानता, प्रवर्तनीयता तथा मूल्यांकन का परीक्षण,
- ❖ उचित वर्गीकरण तथा प्रावधानों को शामिल करते हुए RBI मानकों के साथ अनुपालन,
- ❖ उचित समीक्षात्मक प्रक्रियाओं का अनुपालन,

{2 M}

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.

अपनी मूल प्रक्रियाओं को लागू करने में अंकेक्षक को सभी बड़े अग्रिमों का परीक्षण करना चाहिए, वहीं अन्य अग्रिमों का नमूना आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। खाते, जिन्हें समस्या वाले खाते के रूप में पहचाना गया है, उनकी यदि राशि महत्वपूर्ण ना हो तो उन्हें विस्तृत रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। जब तक कि उनकी राशि महत्वपूर्ण ना हो।

अग्रिम, जिन्हें वर्ष के दौरान स्वीकृत किया गया है या जिन पर RBI निरीक्षण टीम, समवर्ती अंकेक्षकों, बैंक के आंतरिक निरीक्षण आदि ने प्रतिकूल टिप्पणियाँ की है, उन्हें सामान्यतः अंकेक्षक के पुनरीक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। **{2 M}**

__**__

Mittal Commerce Classes Pvt. Ltd.